संख्या– 4566 / 1–10–2011–12(34) / 2003(टी0सी0) ।।

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः 15 दिसम्बर, 2011

विषयः–**वर्ष 2011–12 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु धनावंटन।**

महोदय,

राजस्व अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–4260 / 1–10–2011–12(34) / 2003 टी0सी0, दिनांक 17 नवम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या–32–34 / 2007–एन0डी0एम0आई0 दिनांक 24 जून, 2007 द्वारा जारी भारत सरकार की गाईड लाइन्स के आईटम 16 के प्रावधान "Provision for temporary Accomodation, Food, Clothing Medical care etc. of people affected" के अनुरूप गृहविहीन / निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 3,53,00,000 / –(रूपये तीन करोड़ तिरपन लाख मात्र) जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	सदर तहसील हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	अन्य तहसीलों हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में) (रूपये एक लाख प्रति तहसील)	कुल आवंटित धनराशि (रूपये में)
सहारनपुर	सहारनपुर	5	150000	400000	550000
	मुजफ्फरनगर	4	150000	300000	450000

	प्रबुद्धनगर	2	150000	100000	250000
मेरठ	मेरठ	3	150000	200000	350000
	पंचशीलनगर	3	150000	200000	350000
	गाजियाबाद	2	150000	100000	250000
	बुलंदशहर	7	150000	600000	750000
	गौतमबुद्धनगर	3	150000	200000	350000
	बागपत	3	150000	200000	350000
आगरा	आगरा	6	200000	500000	700000
	मथुरा	4	150000	300000	450000
	फिरोजाबाद	4	150000	300000	450000
	मैनपुरी	3	150000	300000	350000
अलीगढ़	अलीगढ़	5	150000	400000	550000
	एटा	3	150000	200000	350000
	कांशीरामनगर	3	150000	200000	350000
	महामायानगर	4	150000	300000	450000
बरेली	बरेली	6	150000	500000	650000
	बदायूँ	5	150000	400000	550000
	शाहजहांपुर	4	150000	300000	450000
	पीलीभीत	3	150000	200000	350000
मुरादाबाद	मुरादाबाद	4	150000	300000	450000
	रामपुर	6	150000	500000	650000

	बिजनौर	5	150000	400000	550000
	ज्योतिबाफूलेनगर	3	150000	200000	350000
	भीमनगर	3	150000	200000	350000
कानपुर	कानपुर नगर	3	200000	200000	400000
	कानपुर देहात	5	150000	400000	550000
	इटावा	5	150000	400000	550000
	फर्रूखाबाद	3	150000	200000	350000
	कन्नौज	3	150000	200000	350000
	औरैया	2	150000	100000	250000
इलाहाबाद	इलाहाबाद	8	200000	700000	900000
	फतेहपुर	3	150000	200000	350000
	प्रतापगढ़	5	150000	400000	550000
	कौशाम्बी	3	150000	200000	350000
झॉसी	झांसी	5	150000	400000	550000
	ललितपुर	3	150000	200000	350000
	जालौन	5	150000	400000	550000
चित्रकूटधाम	हमीरपुर	4	150000	300000	450000
	महोबा	3	150000	200000	350000
	बांदा	4	150000	300000	450000
	चित्रकूट	2	150000	100000	250000
वाराणसी	वाराणसी	2	200000	100000	300000

	जौनपुर	6	150000	500000	650000
	गाजीपुर	5	150000	400000	550000
	चन्दौली	3	150000	200000	350000
मिर्जापुर	मिर्जापुर	4	150000	300000	450000
	सोनभद्र	3	150000	200000	350000
	संतरविदासनगर	3	150000	200000	350000
आजमगढ़	आजमगढ़	7	150000	600000	750000
	मऊ	4	150000	300000	450000
	बलिया	6	150000	500000	650000
गोरखपुर	गोरखपुर	7	150000	600000	750000
	महाराजगंज	4	150000	300000	450000
	देवरिया	5	150000	400000	550000
	कुशीनगर	4	150000	300000	450000
बस्ती	बस्ती	4	150000	300000	450000
	सिद्धार्थनगर	5	150000	400000	550000
	संतकबीरनगर	3	150000	200000	350000
लखनऊ	लखनऊ	4	200000	300000	500000
	उन्नाव	5	150000	400000	550000
	रायबरेली	5	150000	400000	550000
	सीतापुर	6	150000	500000	650000
	हरदोई	5	150000	400000	550000

	खीरी	6	150000	500000	650000
	छत्रपति साहू जी महाराज नगर (फैजाबाद मण्डल)	5	150000	400000	550000
देवीपाटन	गोण्डा	4	150000	300000	450000
	बहराइच	4	150000	300000	450000
	बलरामपुर	3	150000	200000	350000
	श्रावस्ती	2	150000	100000	250000
फैजाबाद	फैजाबाद	5	150000	400000	550000
	सुल्तानपुर	4	150000	300000	450000
	बाराबंकी	6	150000	500000	650000
	अम्बेडकरनगर	5	150000	400000	550000
	कुल योग	313	11500000	23800000	35300000

2— उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहर से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाइड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाय इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ओलावृष्टि के पूरक अत्याधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के आभाव में न हो।

3— प्रत्येक तहसील में रू0 50,000/— की सीमा तक धनराशि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने में व्यय की जा सकेगी। जैसा कि शासनादेश संख्या—4551/1—10—2011—12(34)/2003 टी0सी0, दिनांक 14.12.2011 के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है, यथावश्यकता सामान्य क्रय नियमों के

अंतर्गत कम्बल आदि का क्रय भी किया जा सकेगा। क्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।

4— व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र प्रयुक्त स्थल, दिन की संख्या, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5— उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—आयोजनेत्तर—05—राज्य आपदा मोचक निधि—800—अन्य व्यय—03— आपदा निधि से व्यय—42—अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

6— आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या—जी0आई0—134/1—11—2007—46/96, दिनांक 31 जुलाई 2007 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

7— उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2011—12 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों पर ही व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

8— आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को दिनांक 31.03.2012 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट www.rahat.up.nic. in/rahat.2.html पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हो उन्हें दिनांक 31 मार्च 2012 से पूर्व शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

9— आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10– व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

11– यथावश्यकता अपरिहार्य परिस्थितियों में इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग पूर्ण विवरण प्रेषित करते हुए शासन से की जा सकती है।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या– 4566(1)/1–10–2011–12(34)/2003 टी0सी0–।। तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महोलखाकार(लेखा)/महालेखाकार(आडिट)प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।
5– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय।
7– समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

15/12/11

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।